कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः फा. 15(14)सविरा/नियम/89 पार्ट–3 दिनांक 24/11/2014

उप/सहायक

सहकारी समितियॉं,

.....................इकाई

विषय : हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य की हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयकः, सहकारी समितियां खण्ड (समस्त)
5. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
6. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि0, जयपुर।
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

207

उप रजिस्ट्रार (नियम)

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान	टिप्पणी
24.	साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार होगी व निम्नलिखित प्रकार से आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी। वर्ष में एक बार वार्षिक हिसाब बन्द होने के तीन माह के अन्दर जो बैठक अवश्य बुलाई जायेगी, वह सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।	**प्रतिवर्ष** वित्तीय **वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत वार्षिक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 25 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
34(8)	**कोई प्रावधान नहीं।**	<u>नया जोड़ा गया।</u> **(i) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।** **(ii) सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 54 में किये गये संशोधन के अनुसार ।
35	संचालक मण्डल का गठन : 1. संचालक मण्डल में 11 निर्वाचित सदस्य होंगे। 2. एक–एक मनोनीत प्रतिनिधि रजिस्ट्रार एवं उद्योग विभाग का होगा। 3. निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।	संचालक मण्डल का गठन : 1. संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। **संस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्य होने की स्थिति में उक्त 12 में से क्रमशः एक–एक पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु एवं दो पद महिलाओं हेतु आरक्षित होंगे।** 2. एक–एक मनोनीत प्रतिनिधि रजिस्ट्रार एवं उद्योग विभाग का होगा। 3. निर्वाचित संचालक मण्डल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27एवं 34 में किये गये संशोधन के अनुसार ।

			4. संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराया जावेगा। 5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के निर्वाचनों के संचालन हेतु विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा। 6. संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार समिति रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।	

42(30)	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटीयों को भेजना।	
55	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संस्था, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थात:– (क) अपनी क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।	97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 122–क में किये गये संशोधन के अनुसार ।

-41/